उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग–5

संख्या : 1502 / 9–आ–2–1997

लखनऊ : दिनांक 23 जून, 1997

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1965 की धारा 92 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल, नियंत्रणाधीन भूमि पर अतिक्रमण रोकने और अतक्रमण न होने देने के लिये निम्नलिखित अधिकारी उत्तरदायी होंगे :–

(1) सम्बन्धित सहायक अभिन्यता का प्राथमिक उत्तरदायित्व।

(2) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का प्राथमिक उत्तरदायित्व यदि किसी अवर अभियन्ता को प्राथमिक उत्तरदायित्व न दिया गया हो, अन्यथा सुपरवाइजरी उत्तरदायित्व।

(3) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का प्राथमिक उत्तरदायित्व यदि किसी सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता को प्राथमिक उत्तरदायित्व न दिया गया हो, अन्यथा ''सुपरवाइजरी उत्तरदायित्व''।

(4) सम्बन्धित आयुक्त का सम्मिलित सुपरवाइजरी उत्तरदायित्व।

2. श्री राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिकारीयों द्वारा अवहेलना की दशा में उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3. आवास आयुक्त अथवा उपरोक्त इंगित अधिकारी अपने अधीन किसी भी अधिकारी को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा भी उपरोक्त उत्तरदायित्व सौंप सकते हैं।

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्याः 2611(1) / 9–आ–5–97, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन नगर विकास / लोक निर्माण विभाग।
4. आवास विभाग के समस्त अधिकारी और अनुभाग अधिकारी।

आज्ञा से,

राजकुमार सिंह
अनुसचिव